तत्काल

फा.सं.डीपी-12/28/2021-डीपी-II
भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001
दिनांक: 05.05.2022

विषय:- नशीली दवा की मांग में कटौती के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) स्कीम के अंतर्गत जिला नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना हेतु पात्र संगठनों से अभिरुचि की अभिव्यक्ति सह-प्रस्ताव के लिए आमंत्रण।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग निम्नलिखित जिलों के लिए नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीडीडीआर) स्कीम के अंतर्गत जिला नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए पात्र संगठनों से रुचि-सह-प्रस्ताव आमंत्रित करता है:

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	जिले का नाम और क्षेत्र	जिला प्रशासन द्वारा क्षेत्र के साथ प्रदान किया गया परियोजना स्थान
1.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	बोर्डुमसा नशामुक्ति केंद्र, चांगलांग 5000 वर्ग फुट के साथ
2.	अरुणाचल प्रदेश	लोहित	राज्य पंचायती राज विभाग का भवन, वाकरो (ईएसी मुख्यालय), लगभग 65 और 78 किलोमीटर तेजू से दो अलग-अलग मार्गों पर भवन के चित्र के अनुसार पर्याप्त जगह के साथ
3.	जम्मू और कश्मीर	बांदीपोरा	बांदीपोरा कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, कलूसा बांदीपोरा में - 9000 वर्ग फुट (4000 वर्ग फुट इमारत + 5000 वर्ग फुट लॉन)
4.	जम्मू और कश्मीर	कठुआ	नगरी, कठुआ - 4000 वर्ग फीट
5.	जम्मू और कश्मीर	शोपियां	सेना सद्भावना स्कूल के पास दो मंजिला सरकारी भवन (कुर्सी क्षेत्र 600 वर्ग फीट के साथ)
6.	जम्मू और कश्मीर	पुलवामा	बजवानी त्राल, पुलवामा 470 वर्ग मीटर (5059 वर्ग फीट)
7.	जम्मू और कश्मीर	पूंछ	सरकारी भवन (चित्र सहित)
8.	जम्मू और कश्मीर	राजौरी	सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, राजौरी, जम्मू-कश्मीर 2760 वर्ग फीट
9.	जम्मू और कश्मीर	सांबा	गुरहा सलाठिया तहसील विजयपुर, सांबा 3500 वर्ग फीट
10.	झारखंड	छतरा	4000 वर्ग फुट और भूतल में 7 कमरे, 1 हॉल और पहले में 8 कमरे और एक हॉल है

11.	केरल	मल्लापुरम	मानसिक बीमारी के लिए सरकारी आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, कोट्टक्कल, मलप्पुरम का परिसर, जो 50,000 वर्ग फुट के भवन क्षेत्र वाले जिला मुख्यालय से 16 किमी दूर है।
12.	मध्य प्रदेश	गुना	जिला अस्पताल परिसर, गुना
13.	मध्य प्रदेश	छिंदवाड़ा	हायर सेकेंडरी स्कूल जगन्नाथ के पीछे ओल्ड विमेंस पॉलिटेक्निक कॉलेज छिंदवाड़ा बिल्डिंग स्पेस - 5112 वर्ग फीट खुले स्थान के साथ कुल क्षेत्रफल - 8464 वर्ग फीट
14.	मध्य प्रदेश	नर्मदापुरम	सचिव दलित संघ सोहागपुर, नर्मदापुरम, ग्राम- बोडी तहसील- सोहागपुर भवन का कुल क्षेत्रफल - 7000 वर्ग फीट
15.	मध्य प्रदेश	सतना	जिला अस्पताल, सतनाई ब्लड बैंक और नेत्र विभाग के बीच लगभग 2500-3000 वर्ग फीट का स्थान
16.	मध्य प्रदेश	रतलाम	सिविक सेंटर प्लान नंबर 71, एच ब्लॉक, पहली मंजिल चार फ्लैट कुल क्षेत्रफल - 3200 वर्ग फीट
17.	मध्य प्रदेश	नरसिंहपुर	जिला अस्पताल परिसर क्षेत्रफल - 3600 वर्ग फीट
18.	त्रिपुरा	दक्षिण त्रिपुरा	बेलोनिया एसडीएच (उप-मंडल अस्पताल)
19.	त्रिपुरा	सिपाहीजाला	त्रिपुरा स्टेट राइफल्स कैंप के पास के क्षेत्र में लगभग 1 एकड़ के क्षेत्र में 4 से 5 कमरे हैं।

जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) की स्थापना एवं संचालन कार्य निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाएगा-

1. एक जिला नशामुक्ति केंद्र (डीडीएसी) अधिमानतः प्रत्येक जिला मुख्यालय अथवा उपयुक्त रूप से सुलभ स्थान पर होगा जहां जिला प्रशासन द्वारा किराया मुक्त आवास उपलब्ध किया जाता है। ये डीडीएसी अब तक आईआरसीए, ओडीआईसी एवं सीपीएलआई द्वारा मिलकर उपलब्ध करायी जा रही व्यापक सुविधाएं प्रदान करेगा।

2. जिन जिलों में तीनों मौजूदा सुविधाएं अर्थात आईआरसीए, सीपीएलआई, ओडीआईसी उपलब्ध हैं और मंत्रालय द्वारा आर्थिक रूप से समर्थित हैं, उन्हें एकल नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाएगा। उसी जिले में मौजूदा आईआरसीए, सीपीएलआई या ओडीआईसी को जिला प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए जाने वाले डीडीएसी भवन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

3. डीडीएसी के कामकाज की निगरानी जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली समिति करेगी, जिसका गठन नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए) के तहत किया गया है। इसके अतिरिक्त, अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों के रूप में जिलों के सेवानिवृत्त प्रतिष्ठित व्यक्तियों, कार्यकर्ताओं, कुलपति/विभाग प्रमुख (एचओडी)/प्रधानाचार्य, शोधकर्ता, विद्वानों आदि को शामिल किया जा सकता है। यह समिति केवल

नीति संबंधी मुद्दों की निगरानी करेगी। डीडीएसी की स्थापना के लिए अनुमोदित संबंधित संगठन/गैर सरकारी संगठन की दिन-प्रतिदिन और कार्यान्वयन से संबंधित अन्य गतिविधियों की जिम्मेदारी होगी।

4. डीडीएसी की बैठक 6 महीने में कम से कम एक बार आयोजित की जानी है, यह एनएपीडीडीआर के अंतर्गत अनुमत विभिन्न गतिविधियों पर डीडीएसी द्वारा किए गए खर्च को मंजूरी देगी। समिति कामकाज की समीक्षा भी करेगी और डिलिवरेबल्स की प्रभावशीलता के संदर्भ में डीडीएसी के प्रदर्शन का आकलन करेगी और डीडीएसी के प्रबंधन को सुझाव देगी।

5. डीडीएसी की राशि को एनजीओ/संगठन के नाम रखने के लिए एक अलग (समर्पित) खाता खोला जाएगा। खाता पीएफएमएस पर पंजीकृत किया जाएगा और ईएटी मॉड्यूल के माध्यम से कार्यान्वित किया जाएगा।

6. डीडीएसी की स्थापना के लिए उन जिलों को वरीयता दी जाएगी, जिनमें आईआरसीए, सीपीएलआई या ओडीआईसी की कोई सुविधा नहीं है। इसके लिए ड्रग्स के क्षेत्र में काम करने के इच्छुक संगठन/स्टार्ट-अप डीडीएसी के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे।

7. भारत या विदेश के शीर्ष सामाजिक संस्थानों से स्नातक कर चुके युवा व्यक्तियों / पेशेवरों के स्टार्ट-अप भी आवेदन करने के पात्र हैं।

8. इच्छुक एनजीओ/स्टार्टअप/संगठन मंत्रालय के ई-अनुदान (https://grants-msje.gov.in/ngo-login) पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। मंत्रालय में परियोजना चयन समिति डीडीएसी की स्थापना और संचालन के लिए पात्र एनजीओ/स्टार्ट अप का चयन करेगी और दो किस्तों में धनराशि जारी करने की सिफारिश करेगी। हालांकि, संस्थान सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन की तारीख से स्कीम के अंतर्गत जीआईए प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

9. यह विज्ञापन एनएपीडीडीआर की संशोधित योजना के मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अध्याधीन है।

10. **पात्र संगठन:** वह संगठन जो पहले से ही सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय समर्थित आईआरसीए या राज्य सरकार समर्थित नशामुक्ति केंद्र/सरकारी अस्पताल या मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 2017 के तहत पंजीकृत कोई भी निजी नशामुक्ति केंद्र चला रहे हैं, डीडीएसी के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। संगठन केवल उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए आवेदन कर सकता है जिसमें वे प्रस्ताव के लिए बुलाए जाने की तारीख से पिछले 2 वर्षों या उससे अधिक समय से पहले से ही आईआरसीए/नशा मुक्ति केंद्र चला रहे हैं। किसी भी सरकारी अस्पताल/नए स्टार्टअप/प्रतिष्ठान के लिए युवा पेशेवरों द्वारा शर्त में छूट दी जा सकती है जो प्रकृति में गैर-लाभकारी हैं।

11. **डीडीएसी की भूमिका और उत्तरदायित्व**

डीडीएसी का मुख्य फोकस कमजोर व्यक्ति या मादक द्रव्यों के सेवन विकारों से प्रभावित व्यक्तियों की प्रारंभिक रोकथाम, शिक्षा, मांग में कमी, पहचान, उपचार और पुनर्वास सेवाएं है।

डीडीएसी निम्न कार्य करेगा:-